<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>12.07.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से पुरुषोत्तम चव्हाण के मुंबई में एक फ्लैट, राजेश बत्रेजा के लोनावाला और खंडाला में भूमि पार्सल, अनिरुद्ध गांधी की कंपनी के बैंक खाते में शेष राशि, आरोपी राजेश शेट्टी और भूषण अनंत पाटिल की बीमा पॉलिसियों सहित कुल 14.02 करोड़ रुपये की सावधि जमा की संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

ईडी ने तानाजी मंडल अधिकारी और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आयकर विभाग से 263.95 रुपये की धोखाधड़ी से टीडीएस रिफंड जारी करने के आरोप में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि राजेश बृजलाल बटरेजा ने अनिरुद्ध गांधी की मदद से 55.50 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) को भारत के बाहर भेजने में तानाजी मंडल अधिकारी और अन्य की मदद की। पीओसी के विचलन के बाद, राजेश बृजलाल बटरेजा ने दुबई में अन्य व्यक्तियों की मदद से पीओसी को भारत के बाहर छिपा दिया। छुपाए गए पीओसी के एक हिस्से को सीमा पार प्रेषण के माध्यम से शेयर निवेश की आड़ में मुंबई और गुरुग्राम स्थित 02 भारतीय कंपनियों में निवेश किया गया है।प्रारंभ में, राजेश बत्रेजा ने स्वेच्छा से पीओसी का एक छोटा सा हिस्सा लगभग 1.70 करोड़ रुपये वापस कर दिया। बाद में, शेष पीओसी को वापस लाने के बजाय, राजेश बटरेजा ने पुरूषोत्तम चव्हाण के साथ मिलकर पीओसी को डायवर्ट और कमजोर कर दिया। उन्होंने दुबई स्थित व्यक्तियों के साथ मिलकर भारत और भारत के बाहर भी पीओसी छिपाई है।

इससे पहले, तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण अनंत पाटिल, राजेश शांताराम शेट्टी, राजेश बृजलाल बटरेजा और पुरूषोत्तम चव्हाण को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में, वे सभी (5 आरोपी) न्यायिक हिरासत में हैं। तानाजी मंडल अधिकारी और 10 अन्य के खिलाफ 11.09.2023 को अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है , जिसका संज्ञान विशेष (पीएमएलए) अदालत ने भी लिया है। इस कुर्की को शामिल करते हुए, इस मामले में कुल जब्ती/कुर्की अचल/चल संपत्ति लगभग 182 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।